संख्या-वे0आ0-2- 299 /दस-54(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी, 2009

विषय:- पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वेतन समिति-2008 के प्रथम प्रतिवेदन मे की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/ दस-59(एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा तथा राज्य के शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1315/दस-59 (एम)/ 2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य किये जाने एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/ 2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निर्गत की गई हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/ 2008 दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-12 में दिनांक 01 दिसम्बर, 2006 से दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के देय अवशेष के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त व्यवस्था में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनकी जी0पी0एफ0 कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-2009 या आगामी वित्तीय वर्षो में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है, को अवशेष भुगतान की व्यवस्था का उल्लेख होने से छूट गया है, जिसके कारण उनके अवशेष भुगतान में कठिनाई आ रही है। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर-8(1) में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जुलाई निर्धारित करने हेतु की गयी निम्नवत् व्यवस्था को और स्पष्ट करने की मॉग की गयी है :-

> "8- (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक होगी।"

3– उपयुक्त इंगित कठिनाइ के निराकरण एवं वेतनवृद्धि [illegible] सम्बन्धी प्रावधान को स्पष्ट किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/ 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–12(5) के बाद निम्नानुसार नया उप प्रस्तर–6 जोड़े जाने एवं प्रस्तर–8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :––

"6– ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी जी0पी0एफ0 कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008–2009 या आगामी वर्षों में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है, उन्हे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में देय अवशेष धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।"

"8– (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होने अपनी गत वेतनवृद्धि दिनांक 02–01–2005 से दिनांक 01–01–2006 के मध्य अर्जित की है उन्हे पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01–07–2006 को देय होगी।

ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01–01–2006 को अर्जित होती हो, उन्हे अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01–01–2006 को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियो को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक दिनांक 01–07–2006 को देय होगी।"

4– उपर्युक्त शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/ 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी शेष अन्य व्यवस्थायें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2– (1)/दस–59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3— उपर्युक्त इंगित कठिनाई के निराकरण एवं वेतनवृद्धि की अनुमन्यता की तिथि सम्बन्धी प्रावधान को स्पष्ट किये जाने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1318/दस—59 (एम)/ 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर—12(5) के बाद निम्नानुसार नया उप प्रस्तर—6 जोड़े जाने एवं प्रस्तर—8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :—

> "6— ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी जी0पी0एफ0 कटौती अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा निकट होने के कारण वित्तीय वर्ष 2008—2009 या आगामी वर्षों में अवशेष भुगतान हेतु निर्धारित की गयी तिथि अथवा उसके पूर्व की तिथि से रोकी जा चुकी है, उन्हे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में देय अवशेष धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।"

"8— (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होने अपनी गत वेतनवृद्धि दिनांक 02—01—2005 से दिनांक 01—01—2006 के मध्य अर्जित की है उन्हे पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01—07—2006 को देय होगी।

ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01—01—2006 को अर्जित होती हो, उन्हे अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01—01—2006 को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियो को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक दिनांक 01—07—2006 को देय होगी।"

4— उपर्युक्त शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1318/दस—59 (एम)/ 2008 दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इसकी शेष अन्य व्यवस्थायें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—2— (1)/दस—59(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उ0प्र0।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0प्र0।
13– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
15– निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी पाठशालायें,उ0प्र0, इलाहाबाद।
16– समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
17– उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
18– प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
19– प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
20– कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005
21– रीजनल प्राविडेन्ट मण्ड कमिश्नर, कानपुर।
22– निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर।
23– निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लखनऊ।
24– निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
25– प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
26– प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
27– प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
28– प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
29– प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
30– प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
31– व्यावस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
32– पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
33– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
34– चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
35– नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
36– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 वित्त–29.4.2009–(148)–5000–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

5— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।
6— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8— वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उ0प्र0।
9— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12— समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक / समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उ0प्र0।
13— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
15— निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी पाठशालायें,उ0प्र0, इलाहाबाद।
16— समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
17— उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
18— प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
19— प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
20— कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005
21— रीजनल प्राविडेन्ट मण्ड कमिश्नर, कानपुर।
22— निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर।
23— निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लखनऊ।
24— निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
25— प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
26— प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
27— प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
28— प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
29— प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
30— प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
31— व्यावस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
32— पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
33— संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
34— चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
35— नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
36— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 वित्त–29.4.2009–(148)–5000–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।